सं .Z.16015/12/2022-N

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(परिचर्या विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली110011-

दिनांक 01.08.2022

<u>अधिसूचना</u>

यह मंत्रालय स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं/यूनिटों/संस्थाओं में सभी श्रेणियों की नर्सों की कार्यस्थितियों को शासित करने के संबंध में दिशानिर्देश तैयार कर रहा है। आम जनता/हितधारकों की टिप्पणियों के लिए मसौदा दिशानिर्देश संलग्न हैं।

.2 टिप्पणियां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों के भीतर nursing-mohfw@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से नर्सिंग अनुभाग को भेजी जा सकती हैं।

(सकेश कुमार)

उप निदेशक

दूरभाष - 23062959

स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं/यूनिटों/संस्थाओं में सभी श्रेणियों की नर्सों की कार्यस्थितियों को शासित करने के संबंध में दिशानिर्देश:

1. "स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन कार्यबल 2030" संबंधी डब्ल्यूएचओ वैश्विक कार्यनीति में सभी प्रकार के भेदभाव, जोरजबरदस्ती और हिंसा से सुरक्षित और कार्य के शालीन वातावरण सहित स्वास्थ्य कार्यबल के वैयक्तिक, नियोजन तथा व्यावसायिक अधिकारों को कायम रखने का आह्वान किया गया है। ठोस कार्य परिस्थितियों से रोगी की परिचर्या में वृद्धि होगी तथा इससे समग्र स्वास्थ्य परिचर्या परिणामों में पर्याप्त मदद मिलेगी। नर्सों के लिए सुरक्षित तथा स्वस्थ कार्य वातावरण कोटिपरक नर्सिंग परिचर्या की परिकल्पना करने के उद्देश्य से अत्यावश्यक है।
2. अतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं में नर्सों की कार्य-परिस्थितियों में सुधार लाने के संकल्प को कारगर बनाने के लिए दिशानिर्देशों का निम्नलिखित प्रारूप तैयार किया है। नर्सों की कार्यस्थितियों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई हैं:-

धारा 1: कार्यस्थल पर सुविधाएं तथा सुरक्षा

i. सभी नर्सिंग स्टॉफ को वार्षिक स्वास्थ्य जांचों, अनिवार्य रोग प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं जहां वे नियोजित हैं, उन अस्पताल की सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की जाए।

ii. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाएं सभी यूनिटों/वार्डों में पर्याप्त अवसंरचना तथा उपकरणों से सुसज्जित कार्यस्थल सुनिश्चित करें ताकि नर्सिंग स्टॉफ के कुशल कार्य संचालन को सक्षम बनाया जा सके।

iii. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं में नर्सिंग स्टॉफ के लिए पृथक वॉशरूम, चेंजिंग रूम (पेयजल, भोजन की सुविधाएं, लॉकर्स, धुली हुई वर्दियां आदि प्रदान करने सहित) की सुविधाएं हों।

iv. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाएं लंबी अवधि तक कार्य करने वाली नर्सों के लिए विश्राम करने के निश्चित कमरे निर्धारित करें।

v. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाएं प्रचालन की मानक प्रक्रियाओं के अनुसार पेशेवर जोखिम की रोकथाम सुनिश्चित करें तथा पेशेवर सुरक्षा के उपयुक्त मानदंड क्रियान्वित करें।

vi. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओंद्वारा सभी नर्सों के लिए पर्याप्त वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण मुफ्त उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।

vii. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाएं "प्रसूति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार शिशु सदन (क्रेच) उपलब्ध कराएं।

viii. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाएं यथासंभव, अपने-अपने नर्सिंग स्टॉफ को अस्पताल परिसर में अथवा इसके आसपास आवास उपलब्ध कराएं।

ix. 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, अधिनियम 2013'के प्रावधानों के अनुसार सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं में एक आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना करना।

x. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं में कार्यस्थल संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु उपयुक्त समयबद्ध तंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

xi. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं में नर्सों के प्रति मानसिक और शारीरिक हिंसा की रोकथाम के लिए एक सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

xii. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं में नाइट शिफ्ट के दौरान नर्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। नर्सों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यस्थलों पर और इसके आस-पास उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएं।

भाग II: कार्य का समय एवं कर्मचारियों की संख्या

i. जहां सेवा की अनिवार्यता में अन्यथा अपेक्षित हो, को छोड़कर नर्सों के लिए सामान्य कार्य समय एक हफ्ते में चालीस (40) घंटे तथा एक दिन में आठ (8) घंटे से अधिक न हो।

ii. अधिक कार्य सेवाओं की आवश्यकता के दौरान निर्धारित समय से अधिक कार्य करने वाली नर्सों को प्रतिपूरक छुट्टी (डे-ऑफ) दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

iii. नर्सों के ड्यूटी रोस्टर तैयार किए जाएं और नर्सों को अग्रिम रूप से भलीभांति इसकी सूचना दी जाए तथा नर्सों को ड्यूटी/छुट्टी में किसी परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

iv. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं में लोचशील कार्य समय और शिफ्ट ड्यूटी को प्रोत्साहित किया जाए।

v. जहां तक संभव हो, नर्सों को उनके व्यावसायिक ज्ञान और विशेष अनुभव के इष्टतम उपयोग के लिए उनकी विशेषज्ञता और रुचि के क्षेत्रों में तैनाती दी जाए।

vi. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं में नर्सों के लिए थकान से बचने के लिए उनकी अधिक मांग वाले स्थापनाओं से कम मांग वाले स्थापनाओं में नियमित स्थानांतरण/रोटेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाए।

vii. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं द्वारा अनुमोदित मानक मानदंडों के अनुसार स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्र के प्रत्येक वार्ड/इकाईयों में पर्याप्त संख्या में योग्य, प्रशिक्षित और सक्षम नर्सें उपलब्ध कराना।

viii. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं में रोगी भार के अनुरूप पर्याप्त सहायक कर्मचारियों की तैनाती के द्वारा सुरक्षित कर्मचारी स्तर को प्रोत्साहित करना।

भाग III: नर्सिंग नेतृत्व को प्रोत्साहन

i. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं में नर्सों में व्यावसायिकता, नेतृत्व, संप्रेषण, और प्रबंधन संबंधी कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित कर्मचारी विकास कार्यक्रम और सेवा –काल में प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए।

ii. नर्सों को आपात स्थिति में गंभीर रोगियों की पहले परिचर्या करने तथा वार्डों में रोगियों को परामर्श प्रदान करने में सक्रिय रूप से सहभागिता का उचित अवसर प्रदान किया जाए ताकि वे रोगियों के उपचार के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया का भाग बन सकें। उन्हें नर्सों से संबंधित निर्णयों में अनुकूल राय देने का अवसर दिया जाना चाहिए।

धारा-IV: विविध

i. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं को नई भर्ती की गई नर्सों को अस्पताल के विभिन्न विभागों, सुविधाओं, दिशानिर्देशों और प्रचालन संबंधी मानक प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए भर्ती पश्चात् प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

ii. नई भर्ती की गई सभी नर्सों को स्वतंत्र रूप से ड्यूटी पर तैनात करने से पूर्व सुविधाकेंद्र के सभी नवचारों (प्रोटोकॉल) और प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए कम से कम एक माह की अवधि के लिए वरिष्ठ नर्सों के मेंटरशिप के तहत तैनात किया जाए।

iii. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाएं प्रसूति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार भुगतान वाला प्रसूति अवकाश तथा सरकार के दिशानिर्देशों/विद्यमान नीतियों के अनुसार अन्य अधिकृत अवकाश/भत्ते और सुविधाएं प्रदान करें।

iv. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापना यथा संभव सभी नर्सों को सेवाकालीन/उच्चतर नर्सिंग शिक्षा और अनुसंधान करने के लिए समान अवसर प्रदान करें।

v. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं को नर्सों के लिए सहायक कार्य वातावरण प्रदान करें तथा रोगी संबद्ध परिणामों में सुधार करने के लिए सामूहिक कार्य की सुविधा प्रदान करें।

vi. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापना नर्सों के लिए योग और ध्यान (मेडिटेशन), परामर्शी-सेवाओं आदि जैसे कल्याण संबंधी उपायों को संवर्धित करें।

vii. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापना अर्हता और अनुभव के आधार पर उचित पारिश्रमिक देने को क्रियान्वित करें।

viii. सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापना उत्कृष्ट नर्सों को पहचान देने की पहल करें तथा नर्सिंग स्टॉफ के मनोबल और प्रेरणा को बनाए रखने के उपाय करें।

3. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध है कि वे अपने अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापना में उपर्युक्त दिशानिर्देशों को क्रियान्वित करें।